

प्रेम,

श्री अशोक गांगुली,
उप-सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा N

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिठा केन्द्र 2 (मुद्रण केन्द्र) जीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

मसंजः दिनांक: 9 दिसम्बर, 1993

विषय:- केन्द्रीय शैक्षणिक तन्त्र सदन बाजार, मथुरा सी०बी०एस्०के० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रस्तावित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र कटने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय शैक्षणिक तन्त्र सदन बाजार, मथुरा को सी०बी०एस्०के० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अर्थात् आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पर्यवेक्षण सेवाएँ का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश प्रवेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/शैक्षणिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय प्रवेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/शैक्षणिक सदन से इंडिपेण्डेंट स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैलिडेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की शर्तों से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होना आवश्यक नहीं है ।
- 5- संस्था शैक्षणिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित निपुणता का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

Principal
St. Dominic's Sr. Sec. School
Basantar Marg, Mathura cantt.
(U.P.) 281001

7- राज्य सरकार द्वारा तब तक प्रत्येक वर्ष जो भी अतिरिक्त निर्मित हो जायेगा तैरथा उनका पालन करेगी ।

8- विद्युत्पातव का रिकार्ड निर्धारित प्रूपण/रीजकार्यों में रखा गयेगा

9- उक्त प्रतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई पालन संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैरथा द्वारा पथातव्य कीर्णोउत्पत्ता पीठ वातु कर पालन की सुधत किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किता समय यह पाया जाता है कि तैरथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तबका पालन करने में किसी प्रकार की पूरु या शिथिल बरता जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पर उक्त के लिए जायेगा ।

भवदीय,


। ज्योत मुखर्जी ।
उप सचिव ।

पुठत 5369/11/15-7-1993 तदुत्तरिका

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुधतार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- सिधा निदेशक, उत्तर प्रदेश तखनऊ ।
- 2- मण्डीय उप सिधा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिता विद्युत्पातव निरीक्षक, मथुरा ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्युत्पातव उत्तर प्रदेश, तखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, तेन्ट प्रोमनिक स्कूल, तटर बाजार, मथुरा ।


Principal
St. Dominic's Sr. Sec. School
Basantar Marg, Mathura cantt.
(U.P.) 281001

आशा है,

। ज्योत मुखर्जी ।
उप सचिव ।